वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-117/2015/777/एक-5-2015-123/2007

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः: दिनांक 23 जुलाई, 2015**

विषयः-जनपद चन्दौली कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-640/12-भवन-72/97, दिनांक 01 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चन्दौली कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-645/एक-5-2011-123/2007, दिनांक 28 फरवरी, 2011 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 865.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.00 लाख शासनादेश संख्या-1123/एक-5-2011-18/2005, दिनांक 15-04-2011 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 70.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-676/एक-5-2014-123/2007, दिनांक 22 अगस्त, 2014 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में चतुर्थ/अन्तिम किश्त के रूप में रू0 570.94 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्तर लाख चौरान्नबे हजार मात्र) के व्यय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनिराम सिंह
उप सचिव।

संख्या-117/2015/777(1)/एक-5-2015-123/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, चन्दौली।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
मनिराम सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।